

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ. सं०-08/ज.स.(नि.)ग्रा.-08-03/2014:-

/राँची, दिनांक -

आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, रूपौकण प्रमण्डल, दुमका शिविर, देवघर के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प सं.-2662 दिनांक-19.08.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री कुमार के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत विभाग द्वारा उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43 B में सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।


ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 1454

/राँची, दिनांक - 21-03-15 /

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री सुरेन्द्र कुमार, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सिक्तिया, देवघर / ~~वेब~~ मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
20.3.15